न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 02/2017

1. देवलाल पुत्र मोतीलाल
2. रामकुवार पुत्र मोती लाल

} जाति गुर्जर निवासी ग्राम भटवाडा तह0 मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. छीतरलाल पुत्र भूरालाल
2. द्वारका बाई पुत्री भूरालाल
3. नट्टी बाई पुत्री भूरालाल

} जाति बलाई निवासीगण भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थीगण : श्री अमित कुमार गौड
वकील अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 3 :– श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 23.05.2017

निर्णय दिनांक : 25.07.2018

उपरोक्त प्रकरण न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से उपरोक्त उनवान की अपील संख्या 33/2015 में निर्णय दिनांक 11.04.2017 को आशिंक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2012 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन के आधार पर तहसीलदार मांगरोल के द्वारा पेश किये गये धारा 175 के प्रार्थना पत्र में पक्षकारान से जवाब प्राप्त कर नये सिरे से 3 माह की भीतर विधि सम्मत निर्णय पारित करें, पक्षकारान को पाबद किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.05.2017 को उपस्थित होवें।

उक्त पत्रावली न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय की पालना में प्राप्त होने पर दिनांक 23.05.2017 को दर्ज रजिस्टर की गयी। उसी के अनुरूप प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। तदोपरान्त पत्रावली दिनांक 23.05.2017 से 23.05.2018 तक वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 23.05.2017 से 25.07.2018 तक लंबित है। जिसमें लगभग 9 अवसर प्रदान किये जा चुके है जिसको लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। जबकि अपीलेट न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

प्राधिकारी कोटा ने उक्त प्रकरण को 3 माह के भीतर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिनांक [illegible]2017 को प्रसारित किया गया था।

उपरोक्त निर्णय की पालना में हमें भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा दिनांक 11.04.2017 को पारित निर्णय अपील में उल्लेखित पैरा संख्या 8 में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 175 का प्रार्थना पत्र मय संबंधित दस्तावेजात के पुनः प्राप्त नही हुआ है और आज दिवस तक भी किसी भी प्रकार का जवाब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः न्यायहित में दोनो पक्षों का जवाब अवसर बंद किया जाता है तथा उक्त निर्णय की पालना में उक्त आराजी ग्राम भटवाडा खसरा नं0 1280 की 0.25 है0, खसरा नं0 1282 की 1.17 है0 में खातेदार छीतरलाल पुत्र भूरालाल, द्वारका बाई, नटी बाई पुत्रियां भूरालाल जाति मेहर निवासी भटवाडा के नाम से बतौर खातेदार इंतकाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 03.03.1994 को जो सादा स्टाम्प पर अपंजीकृत विकय पत्र अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण के हक में जो लिखाया गया है। यह राजस्व विधि के अन्तर्गत विधिक रूप से मान्य नही है। अतः नियमानुसार राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त स्टाम्प पेपर के आधार पर कोई राहत देय नही बनती है।

इसलिए उपरोक्त प्रकरण में जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल प्रकरण संख्या 1/2012 द्वारा पारित दिनांक 13.03.2012 के उपरांत जो न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा अपील संख्या 33/2015 निर्णय दिनांक 11.04.2017 के माध्यम से निर्णय व डिकी अपास्थ की है वह सही है व विधि के प्रावधानो के अनुसार उक्त निर्णय अपील दिनांक 11.04.2017 के अनुसार पैरा संख्या 8 में वर्णित तथ्यों से यह न्यायालय पूर्णतया संतुष्ठ है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय के अनुसार न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 11.04.2017 के मुताबिक निर्णय व डिकी की पालना में ये प्रार्थना पत्र संख्या 02/2017 अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को सरेइजलास मजमें आम में सुनाय